रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 25, 1997/कार्तिक 3, 1919

No. 420] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25, 1997/KARTIKA 3, 1919

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1997

सा. का.नि. 620 (अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर)संशोधन नियम, 1997 है ।

(2) ये एक नवम्बर, 1997 से लागू होंगे।

2. (i) उपनियम 2 के परन्तुक में ''दो लाख रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''चार लाख रुपये'' शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उपनियम 3 के परन्तुक में ''चालीस हजार रुपये ''शब्दों के स्थान पर''अस्सी हजार रुपये'' शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 4 में, ''दो लाख रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''चार लाख रुपये'' शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमांक से उपाबद्ध अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

(नियम 3 देखिए)

मृत्यु और क्षति के लिए संदेय प्रतिकर

भाग 1	प्रतिकर की रकम (रु.)
मृत्यु के लिए	4,00,000
भाग 2	
(1) दोनों हाथों की हानि या उच्चतर साइडों पर विच्छेदन के लिए	4,00,000
(2) हाथ और पांव की हानि के लिए	4,00,000
(3) टांग या उसके दोहरे विच्छेदन अथवा एक और टांग या उससे विच्छेदन और अन्य पाद की क्षति के लिए	4,00,000
(4) उस परिणाम तक दृष्टि की हानि के लिए जो दावेदार को कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए असमर्थ बना देती है जिसके लिए दृष्टि का होना अनिवार्य है।	4,00,000
(5) चेहरे की बहुत गंभीर विदूपिता के लिए	4,00,000
(6) पूर्ण बधिरता के लिए	4,00,000
भाग 3	
(1) स्कंध यांचि से विच्छेदन के लिए	3,60,000
(2) स्कम से नीचे विच्छेदन के लिए, जबकि स्थूपक असंकुट के सिरे से 8 इंच से कम हो	3,20,000
(3) असंकुट के सिरे से 8 इंच से असंकुट के सिरे के नीचे 4-2/2 इंच से कम तक विच्छेदन के लिए	2,80,000
(4) किसी हाथ या एक हाथ के अंगूठे या चार अंगुलियों की हानि अथवा असंकुट के सिरे के नीचे 4-1/2 इंच के विच्छेदन के लिए	2,40,000
(5) अंगूठे की हानि के लिए	1,20,000

(6) अंगूठे और उसकी कारिका हड्डी की हानि के लिए	1,60,000
(7) एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि के लिए	2,00,000
(8) एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि के लिए	1,20,000
(9) एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि के लिए	80,000
(10) अंगूठे की अन्य अंगूलस्थि की हानि के लिए	80,000
(11) दोनों पाद के विच्छेदन के लिए जिसके परिणाम अन्त्य बेयरिंग स्थूलक है	3,60,000
(12) प्रपंवानुस्त्यस्थि संधि के निकट दोनों पादों से विच्छेदन के लिए	3,20,000
(13) प्रपंवानुस्त्यस्थि संधि से दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	1,60,,000
(14) निकटस्थ.अंतरायल्यस्थि संधि से दूर दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	1,20,000
(15) निकटस्थ अंतरायल्यस्थि संधि से दूर दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	80,000
(16) नितम्ब के नीचे विच्छेदन के लिए	3,60,000
(17) नितम्ब के नीचे विच्छेदन के लिए जबकि स्थूपक बड़े ट्रेवेन्टर के सिरे से मापित लम्बाई में 5 इंच से अधिक न हो	3,20,000
(18) नितम्ब के नीचे विच्छेदन के लिए जबकि स्थूपक बड़े ट्रेवेन्टर के सिरे से मापित लम्बाई में 5 इंच से अधिक हो किन्तु मध्य उसके परे न हो	2,80,000
(19) मध्य उसके नीचे घुटनों के नीचे 3-1/2 इंच तक विच्छेदन के लिए	2,40,000
(20) घुटनों के नीचे विच्छेदन के लिए जबकि स्थूपक 3-1/2 इंच से अधिक किन्तु 8 इंच से अधिक हो	2,00,000
(21) अपरहामन सहित रीड की अस्थि-भंग (अधर मिपात सहित रीट का अस्थी भंग)	2,00,000

(22) घुटनों के नीचे विच्छेदन के लिए जबकि स्थूपक 5 इंच से अधिक हो	1,60,000
(23) एक नेत्र की हानि के लिए जबकि कोई अन्य उपद्रव न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	1,60,000
(24) एक पाद के विच्छेदन के लिए जिसका परिणाम अंत्य बेयरिंग है	1,20,000
(25) प्रपदामूल्यास्थि संधि के निकट से एक पाद के विच्छेदन के लिए	1,20,000
(26) अधराग धात के बिना रीढ़ का अस्थि-भंग	1,20,000
(27) एक नेत्र की दृष्टि की हानि के लिए जबकि कोई अन्य उपद्रव या नेत्र द्योतक की विदुपिता न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	1,20,000
(28) प्रसंदामूल्यास्थि संधि के निकट से एक पाद की हानि के लिए	80,000
(29) नितंग संधि का अस्थि-भंग	80,000
(30) बड़ी हड्डी फीगर दीबिया का दोनों अंगों से अस्थि-भंग	80,000
(31) बड़ी हड्डी ह्यूमेल्स रेडियम का दोनों अंगों में अस्थि-भंग	60,000
(32) श्रेणिका अस्थि-भंग जिसके संधि अंतग्रस्त् न हो	40,000
(33) बड़ी हड्डी फीगर दीबिया का एक अंग में अस्थि-भंग	40,000
(34) बड़ी हड्डी ह्यूमेल्स रेडियम अथवा के एक अंग का अस्थि भंग	32,000

[फा. सं. 97/टी. सी.-III/86/1]
एच. सी. पुनिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

New Delhi, the 25th October, 1997

NOTIFICATION

G.S.R. 620 (E) In exercise of the powers conferred by section 129 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990, namely :-

1. (1) These rules may be called the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Amendment Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the 1st day of November, 1997.

2. In rule 3 of the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990 (hereinafter referred to as the said rules),-

(i) In sub-rule 2, for the words "rupees two lakhs" the words "rupees four lakhs" shall be substituted;

(ii) in the proviso to sub-rule 3 for the words "rupees forty thousand" the words "rupees eighty thousand" shall be substituted."

3. In the rule 4 of the said rules, for the words "rupees two lakk" the words "rupees four lakhs" shall be substituted.

4. For the Schedule annexed to the said rules, the following Schedule shall be substituted, namely :-

SCHEDULE

(See rule 3)

Compensation Payable for Death and Injuries

PART I

	Amount of Compensation (in rupees)
For death	4,00,000

PART II

(1)	For loss of both hands or amputation at higher sites	4,00,000
(2)	For loss of hand and a foot	4,00,000
(3)	For double amputation through leg or thigh or amputation through leg or thing on one side and loss of other foot.	4,00,000
(4)	For loss of sight to such an extent as to render the claimant unable to perform any work for which eye sight is essential.	4,00,000
(5)	For very sever facial disfigurment	4,00,000
(6)	For absolute deafness	4,00,000

PART III

(1)	For amputation through shoulder joint	3,60,000
(2)	For amputation below shoulder with stump less than 8"from tip of acromion	3,20,000

(3)	For amputation from 8" from tip of acromion to less than 4 1/2" below tip of olecranon	2,80,000
(4)	For loss of a hand or the thumb and four fingers of one hand or amputation from 4 1/2" below space tip of olecranon	2,40,000
(5)	For loss of thumb	1,20,000
(6)	For loss of thumb and its metacarpal bone	1,60,000
(7)	For loss of four fingers of one hand	2,00,000
(8)	For loss of three fingers of one hand	1,20,000
(9)	For loss of two fingers of one hand	80,000
(10)	For loss of terminal phalanx of thumb	80,000
(11)	For amputation of both feet resulting in end bearing stumps	3,60,000
(12)	For amputation through both feet proximal to the metatarsophalangeal joint	3,20,000
(13)	For loss of all toes of both feet through the metatarso-phalangeal joint	1,60,000
(14)	For loss of all toes of both feet proximal to the proximal interphalangeal joint	1,20,000
(15)	For loss of all toes of both feet distal to the proximal inter-phalangeal joint	80,000
(16)	For amputation at hip	3,60,000
(17)	For amputation below hip with stump not exceeding 5" in length measured from tip of great trenchanter but not beyond middle thing.	3,20,000
(18)	For amputation below hip with stump exceeding 5" in length measured from tip to great trenchanter but not beyond middle thigh	2,80,000
(19)	For amputation below middle thigh to 3 1/2" below knee	2,40,000

(20)	For amputation below knee with stump exceeding 3 1/2" but not exceeding 5"	2,00,000
(21)	Fracture of Spine with paraplegia	2,00,000
(22)	For amputation below knee with stump exceeding 5"	1,60,000
(23)	For loss of one eye without complications the other being normal	1,60,000
(24)	For amputation of one foot resulting in end-bearing	1,20,000
(25)	For amputation through one foot proximal to the emetatarso-phalangeal joint	1,20,000
(26)	Fracture of Spine without paraplegia	1,20,000
(27)	For loss of vision of one eye without complications of disfigurement of eye ball, the other being normal	1,20,000
(28)	For loss of all toes of one foot through the metatarso-phelangeal joint	80,000
(29)	Fracrture of Hip-joint	80,000
(30)	Fracture of Major Bone Femur Tibia Both limbs	80,000
(31)	Fracture of Major Bone Humerus Radius Both limbs	60,000
(32)	Fracture of Pelvis not involving joint	40,000
(33)	Fracture of Major Bone Femur Tibia one limb	40,000
(34)	Fracture of Major Bone Humerus Radius Ulna One limb	32,000

[File No. 97/TC-III/86/1]

H.C. PUNIA, Jt. Secy.

Footnote : The principal rules were notified vide No. G.S.R. 552(E), dated the 7th June, 1990 and subsequently amended vide No. G.S.R. 592(E), dated the 21st July, 1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997